दिनांक- 02.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 287/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 02.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 02.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 288/26

महोबा पुलिस

सर्किल - चरखारी, थाना - श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 02.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री प्रवीन सिंह द्वारा गठित उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल मय हमराह उ0नि0 उदयभान व कां0 हंसराज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त बल्ली पुत्र बच्चू कुशवाहा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम इमिलिया थाना श्रीनगर जनपद महोबा सम्बन्धित वाद सं0 57/2013, मु0अ0सं0 1237/12 धारा 379/411 भादवि व खनिज अधिनियम में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम इमिलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

बल्ली पुत्र बच्चू कुशवाहा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम इमिलिया थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल
2. उ0नि0 उदयभान
3. कां0 हंसराज

दिनांक- 02.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 289/26

महोबा पुलिस

सर्किल – नगर, थाना – कोतवाली नगर

सोशल मीडिया पर अवैध असलहा के साथ वीडियो पोस्ट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, हथियार प्रदर्शन पर महोबा पुलिस की सख्त कार्यवाही...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गौड़ के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा जनपद महोबा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों के प्रदर्शन एवं अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 28.06.2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डहर्रा स्थित मंदिर परिसर में एक युवक द्वारा अवैध तमंचा के साथ वीडियो पोस्ट कर कानून का उल्लंघन किया गया था। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच की गई।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त छुट्टन वर्मा उर्फ महेन्द्र वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम डहर्रा, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को दिनांक 01.07.2026 को मदन सागर पुल के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 302/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

पुलिस की अपील/जागरूकता संदेश :

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का अवैध शस्त्र प्रदर्शन, वीडियो/फोटो अपलोड करना या कानून-विरुद्ध गतिविधियों का प्रचार-प्रसार न करें। इस प्रकार के कृत्य दण्डनीय अपराध हैं तथा ऐसे मामलों में सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त –

छुट्टन वर्मा उर्फ महेन्द्र वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम डहर्रा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 दिनेश तिवारी

2.हे0कां0 बृजेश कुमार तोमर